

उत्तरांचल शासन

वित्त (सामान्य नियम-वेतन आयोग) अनुभाग-7

संख्या- 21 / XXVII(7)अ/मे/यो/2005

देहरादून : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्य सरकार ने, अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई रीति के विस्तृत अनुसरण को वृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित "लाभ पेंशन योजना" के स्थान पर नवपरिभाषित "अंशदान पेंशन योजना" लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है :-

(i) राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लिखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 01 अक्टूबर, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवाये 01 अक्टूबर, 2005 को 10 वर्ष से कम की हो, भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

(ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन, महंगाई वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं/निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक ये संस्थायें ऐसा अंशदान करने हेतु स्वयं सक्षम न हो जायें। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा, जो पेंशन टियर-1 खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों, जो वर्तमान अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, उन्हें पूर्व से परिभाषित पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के उपबन्धों के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

(iii) चूंकि नये भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे, अतः वे पेंशन टियर-1 खाते के अतिरिक्त एक स्वीच्छिक टियर-2 खाता भी रख सकते हैं, परन्तु सेवायोजक टियर-2 खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। टियर-2 खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जो पेंशन टियर-1 खाते के लिए है। तथापि, कर्मचारी अपने

"टियर-2" खाते के धन के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर-1 को सामान्यतया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करें और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत का निवेश करें जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एकमुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर-1 को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

(v) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से अपने विगत कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे, जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सुचित विकल्पों को चुन सकें।

2- उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेंनीफिट्स रूल-1961 एवं उत्तर प्रदेश भविष्य निधि नियमावली-1985 के सुसंगत प्राविधान इस क्रम में संशोधित किये गये हैं।

3- दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को या उसके बाद नव-नियुक्त/भर्ती होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रपत्र-1 (संलग्न) पर वांछित विवरण, सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रपत्र-2 (संलग्न) पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त विवरण सम्बन्धित कोषागार एवं निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड (डालनवाला), देहरादून को भेजा जायेगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल द्वारा प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 के आधार पर कम्प्यूटर पर आधारित एक "डाटा बेस" तैयार किया जायेगा, जिसे भारत सरकार में केन्द्रीय अभिलेखपाल/Central Record Keeping Agency (CRA) एवं पेंशन निधि प्रबन्धक को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

4- कोषागार/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंशदायी पेंशन हेतु विवरण, प्रपत्र-3 (संलग्न) पर सूचना तैयार कर वेतन देयक (bill) के साथ संलग्न करके प्रेषित किया जायेगा जिसे प्रतिमाह की 05 तारीख तक कोषागार द्वारा इसी प्रपत्र पर आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्षवार संकलित सूचित निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को उपलब्ध कराया जायेगा। जब तक कि भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए पेंशन निधि

प्रबन्धक की नियुक्ति न कर दी जाय, इस प्रकार के लेखों का रखरखाव उक्त निदेशालय द्वारा किया जायेगा। पेंशन निधि प्रबन्धक द्वारा कार्य संचालन के पूर्व इस प्रकार की निधि पर सामान्य भविष्य निधि पर अनुमन्य ब्याज दर अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

5- जब तक अलग से मानक मद निर्धारित नहीं किया जाता, अंशदायी पेंशन योजना के अधीन नियोक्ता के अंशदान की धनराशि को 01-वेतन मद से ही भुगतान किया जायेगा, जो वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता की धनराशि के योग के 10 प्रतिशत के बराबर होगी। एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के इनपुट-1 में अन्य वेतन शीर्षक के अधीन "एकीकृत पेंशन हेतु वेतन" के अन्तर्गत भुगतान पुस्तान्कित किया जायेगा।

6- पेंशन निधि में नियोक्ता के अंश तथा अधिकारी/कर्मचारी के वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते की धनराशि के योग के 10 प्रतिशत अंश की सकल धनराशि कोशगार द्वारा मुख्य लेखा शीर्षक 8011-बीमा तथा पेंशन निधि के लघुशीर्षक 106-अन्य बीमा तथा पेंशन निधि के उपशीर्षक 05-पेंशन निधि में अंशदान तथा पुनर्विनियोग की इकाई/मानक मद 33-पेंशन में जमा किया जायेगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, उक्त जमा धनराशि के आहरण वितरण हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे और भारत सरकार द्वारा पेंशन निधि प्रबन्धक नियुक्त किये जाने के बाद, उनके द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन धनराशि पेंशन निधि प्रबन्धक को भेजा जायेगा। निदेशक द्वारा पेंशन निधि से सम्बन्धी वांछित सूचना/विवरण पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA), केन्द्रीय अभिलेखपाल (CRA), राज्य सरकार तथा अन्य सुसंगत स्तरों को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- नवीन पेंशन योजना के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक : 01 अक्टूबर, 2005 होगी।

संलग्नक:- निर्धारित प्रपत्र(3)

इन्दु कुमार पान्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या- 21(1)/XXVII(7)अंशपेठगो/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3- महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
- 4- रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
- 5- स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।

- 6- सचिव, विधानसभा उत्तरांचल।
- 7- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
- 8- उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
- 10- निदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
- 11- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 12- परिच्छ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल एकांक, देहरादून।

आज्ञा

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

प्रपत्र-1

(विवरण सरकारी सेवक द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में भरा जाय)

- 1- सरकारी सेवक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :-.....
- 2- पिता/पति/पत्नी का नाम :-
- 3- स्थाई पता :-
- 4- पत्र-व्यवहार का पता :-
- 5- पदनाम :-.....
- 6- विभाग/संगठन का नाम :-.....
- 7- वेतनमान :-.....
- 8- जन्मतिथि :-.....
- 9- सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि :-.....
- 10- मूल वेतन :-.....
- 11- पेंशन लेखे में संग्रहीत धनराशि हेतु नामांकन :-.....

क्रम सं०	नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	आयु	कितने प्रतिशत अंश	सरकारी सेवक से सम्बन्ध

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर.....

प्रपत्र-2

(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कोषागार तथा निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को भेजा जाने वाला विवरण)

कार्यालयाध्यक्ष का नाम.....

डी0डी0ओ0 कोड नं०

कार्यालय का पूरा पता.....

क्र० सं०	सरकारी संकेत का नाम	पद नाम	मूल वेतन	जन्म तिथि	लेख में आर्धवार प्रथम करण की तिथि	नामांकन विवरण				वैधानिकता संख्या
						नामित व्यक्ति	आयु	सरकारी संकेत सं संख्या	प्रतिपात् अंक	

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी

के (मुहर सहित) हस्ताक्षर.....

(इस प्रपत्र के साथ, सभी सरकारी संकेतों द्वारा प्रथम बार भरा गया प्रपत्र-1 को एक-एक छायाप्रति भी संलग्न की जाएगी।)

प्रपत्र-3

(कोषागार/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंशदायी पेंशन हेतु वेतन वेतन के साथ लगने वाला संलग्नक तथा प्रतिमाह निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल को विलम्बतम 05 तारीख तक भेजा जाने वाला विवरण)

आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम.....

डी0डी0ओ0 कोड नं0

कोषागार का नाम

माह..... वर्ष

क्रम सं०	सरकारी सेवक का नाम	पदनाम	मूल वेतन (रु०)	महागाई वेतन एवं महागाई भत्ते का योग (रु०)	अभिलेखी का अंश (रु०)	सरकार का अंश (रु०)	टीयर-1 पेंशन फंड का योग (रु०)	टीयर-2 भविष्य निधि में अंश(रु०)	अभ्युक्ति

कार्यालयध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी/कोषागार अधिकारी के (मुहर सहित) हस्ताक्षर.....